घरेलू हिंसा

१. शोषण को पहचानना

२. घरेलू हिंसा क्या है?

३. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५

४. स्नेहा किस तरह मदद कर सकती है ?

१. शोषण की पहचान

घरेलू हिंसा के कई स्वरूप है जैसे की शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक और आर्थिक जो आपके साथी या परिवार के सदस्य (आपके मयके या ससुरालवाले) कर सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ विधानों से आपके हालात अगर मिलते-जुलते हैं, तब आप हिंसा का सामना कर रहें हैं।

१. अगर आपका साथी/ आपके परिवार के सदस्य आपको धकेलते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं या घर को आसपास पायी जानेवाली किसी चीज़ से मारते हैं।

२. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको बाँधकर रखते हैं, दाग देते हैं, जलाते हैं, आपके बाल खिंचते हैं, आपका सिर पटकते हैं , या आपके उपर चीजें फकते हैं, आपके शरीर को काटतें हैं।

३. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको घर के अंदर ताला लगाकर बंद कर देते हैं।

४. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको बहस के दौरान घर से बाहर रखते हैं।

५. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको ड्राते हैं।

६. अगर अप्रिय घटना टालने के लिए आपका बर्ताव बदलने के लिए आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको मज़बूर करते हैं।

७. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको अकेले घर से बाहर जाने से रोकते हैं।

८. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको आपके परिवार के अन्य लोगों से अलग रखते हैं।

९. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको आपके करीबी लोगों को चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं।

१०. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपके बच्चों को चोट पहुंचाने की या फिर उनका अपहरण करने की या उनकी कस्टड़ी अपने पास लेने की धमकी देते हैं।

११. अगर आपका साथी/ आपके परिवार के सदस्य आपके साथ बातचीत के दौरान गालीगलौच करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको भलेबुरे नाम से पुकारते हैं या आपका मज़ाक उड़ाते हैं ताकि आपके दिल को ठेस पहचे।

१२. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपने कैसे कपड़े पहनने चाहिए या आपको कैसे दिखना चाहिए इस पर नियंत्रण रखते हैं।

१३. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आप पर लगातार टिप्पणी करते हैं, आप किसी काम के नहीं हैं और उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, यह कहते हैं।

१४. अगर आपका साथी/ आपके परिवार के सदस्य आप पर हमेशा शक करते हैं और आपका किसी के साथ कोई चक्कर होने का संदेह करते हैं या समझते हैं की आप उन्हें धोका दे रहें हैं।

१५. अगर आपका साथी आपसे ईर्ष्या करता है, आपके उपर हक़ जताता है या आपको ज़रूरत से ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है।

१६. अगर आपके साथी ने यौन संबंध के लिए आपपर ज़बरदस्ती की है।

१७. अगर आपका साथी आपको नापसंद या अमान्य यौन क्रिया के लिए मजबूर करता है।

१८. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपके पैसों पर नियंत्रण रखते हैं।

१९. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको पैसे ही नहीं देते या ज़रूरत से कम देते हैं।

२०. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्य आपको नौकरी नहीं करने देते।

२१. अगर आपका साथी/आपके परिवार के सदस्यों ने आपके सोने के ज़ेवरात या विवाह के समय आपको दिए गए दूसरे तौहफ़ छीन लिए हैं।

(रेफ्युज, यु.के. और अनदर क्लोज़ेट, ऑस्ट्रेलिया से संकलित)

२. घरेलू हिंसा कई तरह से होती है।[१]

शारीरिक शोषण :

ज़्यादातर मामलों में शोषण शारीरिक स्वरूप का ही होता है। जिसमें थप्पड़ लगाना, धकेल देना, आँखपर चोट करना देना, होटों पर काँटना, खुली चोटें, हड्डियाँ टूटना आदि का समावेश हैं।महिला को चोट पहुंचाने के लिए अपराधकर्ता शारीरिक बल और उसके शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन कई बार वे उनके हाथ में आनेवाली किसी भी वस्तू से हिंसा की शुरूआत कर सकता है। कुछ चरम घटनाओं में इससे मौत भी हो सकती है।

शारीरिक शोषण हमेशा पीछे घाव नहीं छोड़ता। जैसे की आपके बाल खिंचना या आपके तरफ खाना फकना ये भी तो घरेलू हिंसा है। आप के साथ जो हो रहा है उसे कम मत समझिए या उसे नज़रअंदाज़ मत कीजिए क्योंकि समय के साथ हिंसा और भी बदतर होती है।

भावनात्मक शोषण :

कई महिलाएं बिना किसी शारीरिक शोषण के भी घरेलू हिंसा का अनुभव करती है। कभीकभार उन्हें मालूम भी नहीं होता कि उनके साथ जो हो रहा है वह घरेलू हिंसा है। उन्हें लगता है कि अगर वे किसीसे कहेंगी तो कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा।

अपने साथी या परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया की वजह से अगर आप अपना नैसर्गिक बर्ताव बदल रहे हैं तो आप शोषण के शिकार हो रहे हैं। भावनात्मक शोषण आपके शरीर से ज़्यादा आपके व्यक्तित्व पर आघात करता है।शाब्दिक हिंसा जैसे की गंदी भाषा का प्रयोग, अपमान करना, नीचा दिखाना, हँसी उड़ाना आदि का समावेश भावनात्मक शोषण है। भावनात्मक शोषण भी शारीरिक शोषण की तरह हानिकारक हो सकता है।

यौन शोषण :

आपके साथी ने आपको यौन संबंध के लिए मजबूर या धमकाना नहीं चाहिए। वह अपको ऐसी किसी भी तरह की यौनक्रिया के लिए आपको मजबूर नही कर सकता जो आपको ठीक ना लगें। उसने आपकी कृति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

अगर ऐसा कुछ भी वह करता है, तो वह अपनी सत्ता आप पर लादने के लिए और आपको नियंत्रण में रखने के लिए सेक्स का इस्तेमाल कर रहा है।

आर्थिक शोषण:

पुरुष द्वारा अपने साथी को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक शोषण का इस्तेमाल एक असरदार मार्ग है।

आर्थिक शोषण के कई रूप है, जिनमें शामिल है, आपके साथी द्वारा आपके पैसे छीन लेना, आपको काम करने से रोकना, सारे बिल और कर्ज़े आपके नाम पर ड़ाल देना, आपके द्वारा खर्च किए गए पैसे-पैसे का हिसाब माँगना, आपके द्वारा खर्च किए जानेवाली चीज़ोंपर मर्यादा ड़ालना, आपको घर खर्च या व्यक्तिगत खर्चे के लिए कम पैसे देना या फिर आप किस तरह पैसे खर्च करतो हैं इस पर नियंत्रण रखना या फिर दूसरे खर्चो पर नियंत्रण रखना जैसे कि, टेलिफोन।

अगर आपको ऐसा लगता है कि, आपका साथी आपके आर्थिक स्वातंत्र्य पर पाबंदी लगा रहा है, तब आप आर्थिक शोषण के शिकार है।

१. रेफ्युज, यु.के. से प्राप्त

हर तरह की हिंसा गलत है और कानूनन दंडनीय है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५[२]

सन २००५ में भारत सरकार ने घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए एक अधिनियम पारित किया जो पी.ड़ब्ल्यू.ड़ी.व्ही.ए. (द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉम ड़ोमेस्टिक व्हायोलन्स ॲक्ट, २००५ - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, २००५) के नाम स जाना जाता है। यह एक नागरी कानून है जिसका मक़्सद करोड़ों महिलाओं को उनके घर परिवार में हो रही हिंसा से राहत पहुंचाना है, जिसमें पत्नियाँ, माताएं, बेटियाँ, बहनों और लिव इन रिलेशन के साथी या पार्टनर का समावेश है।

पी.ड़ब्ल्यू.ड़ी.व्ही.ए. के अंतर्गत घर में महिलाओं के असल में होनेवाले उत्पीड़न या उत्पीड़न की धमकी - शारीरिक, लैंगिक, वाचिक, भावनिक या आर्थिक स्वरूप की - शामिल है। पी.ड़ब्ल्यू.ड़ी.व्ही.ए. के ज़रिए महिलाओं को मिलेगा :

संरक्षण: मॅजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर अपराधी को घर में या घर के बाहर हिंसा करने पर रोकथाम लगा सकते हैं। साथही वे महिला के साथ कोई संपर्क करने, उसकी संपत्ती उसके पास से लेने पर और/या उसके परिवारजनों को और हिंसा के विरोध में उसे मदद करनेवाले लोगों को जानबूझकर ड़राने पर पाबंदी ड़ाल सकते हैं।

आवास:महिला जिस घर में रहती है उस जगह से महिला को बाहर नहीं निकाल सकते हैं।

आर्थिक राहत और निर्वाह धन: पीड़ित महिला निर्वाह धन के लिए पात्र है, जिसमें उसके आय का नुकसान, वैद्यकीय खर्चा और जानमाल/ संपती का नुकसान भी शामिल है।

मुआवज़ा/ हरज़ाना: मानसिक और शारीरिक नुकसान के लिए महिला हरजाने की माँग कर सकती है।

कस्टड़ी: अदालत उसे अपने बच्चों की अस्थायी कस्टड़ी दे सकती है। कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश/एक्स-पार्टे-ऑर्ड़र से केस की अंतिम सुनवाई तक हिंसा के प्रतिबंध का आदेश दिया जा सकता है। विवाद में शामिल दूसरे पक्ष के मौजूद ना होने पर एक्स-पार्टे-ऑर्ड़र जारी किया जा सकता है।

कानूनी सेवा: कानूनी सेवा अधिकार अधिनियम १९८७ के तहत महिलाओं को मुफ़्त कानूनी सेवा का अधिकार है।

इस तरह के अपराधों के लिए एक साल तक कैद की सज़ा और २०,००० रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नए कानून के अंतर्गत पीड़ित को पति की आय और उसकी संपत्ती में उसका हिस्सा मिलने का और वैद्यकीय खर्चे का भी प्रावधान है।

२. बेल बजाओ - ब्रेकथ्रू

http://www.bellbajao.org/home/resources/the-law-pwdva/

स्नेहा आपकी सहायता कैसे कर सकती है

आप या आपके पहचान में कोई व्यक्ति अगर हिंसा से ज़ूझ रही है और आप मुंबई के निवासी है तब शहर में अलग अलग जगहों पर 'स्नेहा' से संपर्क कर सकते हैं (अधिक जानकारी के लिए 'संपर्क' पृष्ठ देखें)

अगर आप मुंबई शहर में नहीं रहते है तब आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।

स्नेहा संस्था घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, यौन शोषण का शिकार बन रही महिलाओं को और यौन शोषण का सामना कर रहे बच्चों की सहायता करती है।

हम क्या सहायता देते है

दुर्घटना/संकट के समय में हम

- भावनात्मक आधार देते है
- पुलिस में कंप्लेंट देने में मदद, अगर आपको वैद्यकीय सेवा की ज़रूरत हो तब अस्पताल या/डॉक्टर से आपका संपर्क करवाते हैं।
- आपको तत्काल आधार सेवाओं से जोड़ते हैं जैसे की आधारगृह।

हम आपको समुपदेशन (काउंसलिंग) सेवाएँ प्रदान करते हैं (विनामूल्य सेवा)

- व्यक्तिगत समुपदेशन
- दंपती समुपदेशन
- परिवार के लिए समुपदेशन
- मानसोपचार सेवाएँ (सायको थेरप्युटिक सेवाएँ जिसम कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थेरपी और रिलॅक्सेशन थेरपी शामिल है।)

- हमारे यहाँ दो वकील है, जो आपको कानूनी समुपदेशन देते हैं आपको कोर्ट केस तैयार करने में मदद करते हैं और आप के केस के लिए कानूनी सेवा प्राप्त कराने के लिए ज़िला मुफ़्त कानूनी सहायती सेवाओं के नेटवर्क से जोड़ते हैं। हम आपको पुलिस स्टेशन में अदंड़नीय अपराधों के लिए (एन.सी.) और दंड़नीय अपराधों के लिए एफ.आई.आर. दर्ज़ कराने में मदद करते हैं।
- हम आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार विशेष सेवाएं जैसे की मानसोपचार विशेषज्ञ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, महिला आधारगृह और छात्रावास/महिलावास/हॉस्टेल से जोड देते हैं।

हर एक को हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। किसी को भी पीड़ा न सहनी पड़े। हम आपको मदद और मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन यह ध्यान में रहें की आप खुद ही अपनी मदद कर सकती हैं।

स्नेहा हिंसा से पीड़ित महिलाओं की गोपनियता आश्वस्त करती है।